सर्वजातीय सर्वखाप महापंचायत

कार्यालय: मकान न. 1285, सेक्टर-13, कुरुक्षेत्र, पिनकोड - 136118, हरयाणा

डॉक्टर संतोष दहिया, राष्ट्रीय अध्यक्षा (महिला विंग)

मो.: 9896049300, ईमेल: santoshdahiya@gmail.com

दिनाँक: 13/03 2016

श्री मनोहर लाल खट्टर,
माननीय मुख्यमंत्री,
हरयाणा सरकार।

बाबत: हरयाणा राज्य में जाट, जाट सिख, बिश्नोई, रोड़ व् त्यागी जातियों को OBC केटेगरी में आरक्षण देने हेतु; व् मुस्लिम जाट को भी इसमें शामिल करने हेतु।

श्रद्धेय श्रीमान जी,

एक ऐसा बीच का रास्ता निकालते हुए जिससे कि ओबीसी भाईयों के आरक्षण पर भी आंच ना आवे; और जाट, जाट-सिख, बिश्नोई, रोड़ व् त्यागी जातियों को भी ओबीसी में ही आरक्षण मिल जाए, उसके लिए एक सबकी विन-विन (win-win) वाले दो सुझाव आपके समक्ष रखी रही हूँ:

सुझाव एक: ओबीसी बी केटेगरी में आने वाली जातियों की हरयाणा में कुल जनसंख्या 20% भी नहीं है, जबकि इनको आरक्षण मिला हुआ है 11% यानि इनकी संख्या के अनुपात के आधे के आसपास। तो ऐसे ही जाट-जाट सिख-रोड-बिश्नोई-त्यागी व् जाट मुस्लिम की कुल जनसंख्या 35% के आसपास बैठती है, तो इस हिसाब से इन समूहों को प्रस्तावित 10% की बजाये 15 से 18% आरक्षण दिया जावे।

सुझाव दो: जैसा कि सर्वविदित है हरयाणा में 20% SC/ST + 27% OBC (A and B Category) + 10% EWS = 57% यानि आरक्षण की सवैंधानिक सीमा 50% से ऊपर आरक्षण तो वैसे भी गया हुआ है। अगर इसमें 10% SBC का और जोड़ा जायेगा तो कुल होगा 67%।

अब जब यह 50% से ऊपर जा ही रहा है तो जाटों व् साथी जातियों को जो 10% SBC आरक्षण देने की बात चल रही है, उसकी बजाये:

1. OBC की B केटेगरी में ही 15 से 18% तक का कोटा बढ़ा के, इन जातियों को भी इसमें ही डाल दिया जावे।
2. और अगर OBC - B में विद्यमान जातियाँ इस समीकरण पर भी आपत्ति जताती हैं तो फिर OBC में ही B Category की तर्ज पर अलग से C Category बना के उसमें शामिल कर देवें।

इसके पीछे तर्क यह है कि **जब हरयाणा विधानसभा में SBC के लिए विशेष विधेयक लाया ही जा रहा है तो क्यों ना वह विधेयक OBC की B Category में ही कोटा बढ़ा के जोड़ने या C केटेगरी बनाने के लिए बनाया जावे?**

आशा है कि इस फार्मूला से OBC की A और B केटेगरी भी संतुष्ट रहेंगी और जाट समेत बाकी 5 जातियां भी OBC (B or C - Category) में आ जाएँगी। इसमें साथ ही मुस्लिम जाटों को भी जोड़ा जाए।

इससे हरयाणा का जाट व् साथी जातियां आरक्षण में अन्य राज्यों के जाटों के समकक्ष हो जाएँगी और फिर जब उनको केंद्र में OBC आरक्षण मिलेगा तो साथ ही हरयाणा में बिना व्यवधान मिल जायेगा। अन्यथा SBC में रहने से यह डर बना रहेगा कि कहीं केंद्र में आरक्षण मिलने में कोई बाधा ना आ जावे।

धन्यवाद सहित!

प्रार्थी:

डॉक्टर संतोष दहिया

राष्ट्रीय अध्यक्षा (महिला विंग)

सर्वजातीय सर्वखाप महापंचायत